

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**जल संसाधन विभाग**  
**मंत्रालय**  
**महानदी भवन, अटल नगर,**  
**जिला-रायपुर**

क्रमांक 5335 /डी-9/615/जसं/2005,  
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 17/09/2018

मुख्य अभियंता,  
हसदेव कछार,  
जल संसाधन विभाग,  
बिलासपुर (छ.ग.)


**विषय :-** बिलासपुर जिले के विकासखण्ड-कोटा की सलका व्यपवर्तन योजना की चतुर्थ पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

**संदर्भ :-** 1. प्र.अ. का पत्र क्र.-513/बो.प्र./RAA/2013/14250, रायपुर, दि. 15.09.2017.  
2. मु.अ.का पत्र क्र.-03/कार्य/डी-4/2004, दिनांक 23.05.2018.

राज्य शासन एतद् द्वारा बिलासपुर जिले के विकासखण्ड-कोटा की सलका व्यपवर्तन योजना हेतु लागत राशि रु. 6611.56 लाख (रुपये छैसठ करोड़ ग्यारह लाख छप्पन हजार) मात्र की चतुर्थ पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना से 1960 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-75 जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}-सतही जल (0312) नाबार्ड पोषित योजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना), (5189)-लघु सिंचाई निर्माण कार्य (नाबार्ड) #97-निर्माण कार्य, 003-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र.953/ब-2/कम्प्यूटर क्र.-31-01946, दि. 07.09.2018 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार


  
(याकुब खेरस)  
संयुक्त सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन

(4)  
16/9  
जल संसाधन विभाग

पू.क्रमांक 5336 / डी-9/615/जसं/2005,  
प्रतिलिपि:-

अटल नगर, दिनांक 17/09/2018

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर ।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
3. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, अटल नगर ।
4. प्रमुख सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर ।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर ।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर ।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर ।
8. कलेक्टर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) ।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर ।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन रायपुर ।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर ।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.) ।
13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, बिलासपुर ।
14. प्रभारी बजट शाखा, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, अटल नगर ।
15. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा, जिला-बिलासपुर ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
16. आदेश पंजी ।



17/9/18  
संयुक्त सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग

(h)  
15/9